

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सिवाना  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत केम्प कोर्ट) कैम्प मेली

राजस्व लोक अदालत-2018

क्रमांक - रा.लो.अ./2018/ 193

दिनांक- 1/8/18

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मेली व भू.अ.नि सिवाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति, पैनकार्ड की छायाप्रति, प्रधानाध्यपाक रा.मा.वि.मेली व प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाटी खेडा तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 174 व 178 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
		खसरा नम्बर		
1	भाटीखेडा	खाता संख्या 174 खसरा संख्या क्रमशः 1115/104,1117/104,1119/310 व 1123/310 रकबा क्रमशः 0.9106, 1.555, 1.9476 व 0.8473 हैक्टर	हरिश कुमार पुत्र धनाराम जाति पिटल	हराराम पुत्र धनाराम जाति पिटल
2	भाटीखेडा	खाता संख्या 177 खसरा संख्या 1106/6 रकबा 7.3349 हैक्टर	हरिश कुमार पुत्र धनाराम जाति पिटल	हराराम पुत्र धनाराम जाति पिटल



(अब्दुल ताहिर सम्मा)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

क्रमांक - रा.लो.अ./2018/

दिनांक-

प्रतिलिपि - .....

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी हराराम पुत्र धनाराम जाति पिटल निवासी भाटीखेडा तहसील सिवाना
3. रक्षित पत्रावाली।

(अब्दुल ताहिर सम्मा)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना